न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 137 / 2023

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. सीतादेवी पुत्री भूराराम पत्नि भूराराम उम्र 33 वर्ष जाति कलबी निवासी बिजलिया तहसील बागोड़ा जिला सांचौर 2. गेरोदेवी पुत्री भूराराम पत्नि चेनाराम उम्र 39 वर्ष जाति कलबी निवासी चूंकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. भूराराम पुत्र चतराराम, वयस्क 2. छगन पुत्री भूराराम, वयस्क 3. अमियोदेवी पत्नि करताराम, वयस्क 4. केवदाराम पुत्र करताराम, वयस्क 5. केहराराम दत्तक पुत्र उमाराम, वयस्क 6. गमनीदेवी पत्नि उमाराम, वयस्क 7. छोगाराम पुत्र रावताराम, वयस्क 8. जैमताराम पुत्र करताराम, वयस्क 9. दुर्गाराम पुत्र करताराम, वयस्क 10. चम्पादेवी पुत्री करताराम, वयस्क 11. मफरीदेवी पुत्री करताराम, वयस्क 12. नवाराम पुत्र चतराराम, वयस्क 13. पनीदेवी पत्नि रावताराम, वयस्क 14. रतनोदेवी पुत्री उमाराम, वयस्क 15. वगताराम पुत्र रावताराम, वयस्क 16. मोडाराम पुत्र हुकमाराम, वयस्क जातियान कलबी निवासी गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 17. अमिनखान पुत्र गुलाम, वयस्क 18. आचार पुत्र दीनू, वयस्क 19. कादर पुत्र दीनू वयस्क 20. जुमा पुत्र लतीफ, वयस्क 21. दोस्त अली पुत्र गुलाम, वयस्क 22. लालखां पुत्र दीनू, वयस्क 23. शायबा पुत्र लतीफ, वयस्क 24. सकूर पुत्र दीनू, वयस्क 25. सदाम पुत्र लतीफ, वयस्क 26. सुमार पुत्र लतीफ, वयस्क 27. हनीफ पुत्र दीनू, वयस्क जातियान मुसलमान निवासी गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 28. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 28 के पैरोकार सरकार उप0।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

निर्णय

दिनांक 23.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि प्रार्थिनीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 के पैतृक एवं प्रतिवादीगण संख्या 17 से 27 की क्रयसुदा संयुक्त खातेदारी की भूमि जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के ग्राम औरंगाबाद में खेत खसरा नम्बर 226, 227 रकबा क्रमशः 4.8864 हैक्टेयर, 1.5614 हैक्टेयर कुल रकबा 64478 हैक्टेयर तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा नम्बर 66/9 रकबा 3.0904 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 164, 165, 165/2, 51, 91 रकबा क्रमशः 0.2670 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर, 5.7035 हैक्टेयर, 2. 6212 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर कुल रकबा 16.2125 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 152, 152/1, 152/2 रकबा क्रमशः 2.9286 हैक्टेयर, 0.2427 हैक्टेयर, 3.9560 हैक्टेयर कुल रकबा 7.1273 हैक्टेयर की आई हुई है। कि वक्त भू–बन्दोबस्त के समय उपरोक्त भूमि का पर्चा लगान प्रार्थिनीगण के परदादा अणदाराम व दादा चतराराम के नाम जारी हुआ तथा उनके फौत होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी विप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि विप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता स्व. चतराराम से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है तथा जो विप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि ग्राम औरंगाबाद के खसरा संख्या 226, 227 में प्रार्थिनीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 66/9 में प्रार्थिनीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 164, 165, 165/2, 51, 91 में प्रार्थिनीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 152, 152/1, 152/2 में प्रार्थिनीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/60–1/60 हिस्सा पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त का है तथा मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा कर अलग अलग काश्त करते है। कि प्रथम जमाबन्दी (खतौनी) के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थिनीगण के परदादा स्व. अणदाराम व दादा स्व.चतराराम के नाम इन्द्राज हुआ तत्पश्चात् दादा की फौतगी पर प्रार्थिनीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण पारित कर राजस्व रेकर्ड में प्राथीनीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का नाम [illegible] प्रार्थिनीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है [illegible] वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक एवं सहदायिकी की भूमि है और प्रार्थिनीगण अपने [illegible] अणदाराम व दादा चतराराम की पैतृक भूमि में मिलने वाले हि[illegible] उतराधिकारी है और प्रार्थिनीगण का सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में अपने पिता विप्रार्थी सं[illegible] 1 के साथ पैतृक हिस्सा 1/4–1/4 है और प्रार्थिनीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाडा कर काबिज है। कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.5 (1) राजस्व–6/97/18 दिनांक 08.01.2007 जारी कर स्पष्ट आदेश पारित किया है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र/पुत्री को अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:20 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर

की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनों का जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री भी सह कृषक है नाते राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नहीं भी हो इसलिये पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राज. काश्त.अधि. की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है। इसी प्रकार इसी परिपत्र में आगे अंकित किया है कि यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के संबंध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नहीं हो तो ऐसी अवस्था में राज. काश्त.अधि. की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोत का विभाजन करवाया जा सकता है। विवादित भूमि पैतृक भूमि होने से वादी विवादित भूमि में पैतृक हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। कि विप्रार्थीसंख्या 1 नशेडी प्रवृति का व्यक्ति होने से गांव के भूमाफियाओं के प्रभाव के कारण तथा वर्तमान में भूमि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण भूमाफियाओं द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 को लालच एवं प्रलोभन देकर व उसको अपने अनुचित प्रभाव में लेकर वादीनीगण की जानकारी के बिना वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज समस्त भूमि का हस्तान्तरण/बैचान करवाने पर आमादा है। प्रार्थिनीगण को उसकी पैतृक व सहदायिकी भूमि से वंचित करना चाहते है तथा प्रार्थिनीगण को उसके हक व हिस्से की भूमि से हमेशा से महरूम करने पर प्रयासरत है जिस पर वादीनीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी संख्या 1 को समझाया जा चुका है लेकिन विप्रार्थी संख्या 1 अपनी हठधर्मिता पर आ गया है और वादग्रस्त भूमि बेचान व हस्तान्तरण करने पर आमादा है व प्रार्थिनीगण को उसके कब्जा काश्त व रहवासीय ढाणी से बेदखल करना चाहते है। जबकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थिनीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक भूमि होने के कारण व प्रार्थिनीगण पूर्वज अणदाराम के वैध उतराधिकारी होने के नाते उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थिनीगण का वादग्रस्त आराजी में जन्म से हक व अधिकार उत्पन्न होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 को प्रार्थिनीगण के हिस्से व कब्जा की भूमि को बेचान व हस्तातरण करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है क्योंकि यदि विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित होने का गलत फायदा उठाकर प्रार्थिनीगण को उतराधिकार के रूप में मिलने वाली भूमि से वंचित रखकर बेचान व हस्तान्तरण कर दिया गया तो प्रार्थिनीगण को भूखों मरने की नौबत आ जायेगी क्योंकि प्रार्थिनीगण के पास उनके पूर्वजों की उक्त वादग्रस्त आराजी के अलावा अन्य आय का कोई स्त्रोत नहीं है जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। अतः प्रार्थिनीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विप्रार्थी संख्या 1 निम्न सादिर फरमाई जायें कि वादग्रस्त आराजी जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के ग्राम औरंगाबाद में खेत खसरा नम्बर 226, 227 रकबा क्रमशः 4.8864 हैक्टेयर, 1.5614 हैक्टेयर कुल रकबा 8.4478 हैक्टेयर तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा नम्बर 66/9 रकबा 3.0904 हैक्टेयर [illegible] 165/2, 51, 91 रकबा क्रमशः 0.2670 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर, 5.7035 [illegible] हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर कुल रकबा 16.2125 हैक्टेयर [illegible] 152/2 रकबा क्रमशः 2.9286 हैक्टेयर, 0.2427 हैक्टेयर, [illegible] 1273 हैक्टेयर में प्रार्थिनीगण का ग्राम औरंगाबाद के खसरा संख्या 226, 227 में प्रार्थिनी[illegible] प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 66/9 में प्रार्थिनीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा खसरा संख्या 164, 165, 165/2, 51, 91 में प्रार्थिनीगण प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा तथा खसरा संख्या 152, 152/1, 152/2 में प्रार्थिनीगण प्रत्येक का 1/60–1/60 हिस्सा पैतृक होने से उनको मिलने वाले हिस्से में विप्रार्थीगण किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2024.03.04 14:39:20 IST
Reason: SelfAttested

का हस्तक्षेप व दखलन्दाजी नहीं करें तथा भूमि का बेचान, रहन नहीं करें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं 28 तरफ से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष विप्रार्थी विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी के वकील ने अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थिनीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 के पैतृक एवं विप्रार्थीगण संख्या 17 से 27 की कयसुदा संयुक्त खातेदारी की भूमि जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के ग्राम औरंगाबाद में खेत खसरा नम्बर 226, 227 रकबा क्रमशः 4.8864 हैक्टेयर, 1. 5614 हैक्टेयर कुल रकबा 64478 हैक्टेयर तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा नम्बर 66/9 रकबा 3.0904 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 164, 165, 165/2, 51, 91 रकबा क्रमशः 0.2870 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर, 5.7035 हैक्टेयर, 2. 6212 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर कुल रकबा 16. 2125 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 152, 152/1, 152/2 रकबा क्रमशः 2.9286 हैक्टेयर, 0. 2427 हैक्टेयर, 3.9560 हैक्टेयर कुल रकबा 7.1273 हैक्टेयर की आई हुई है। कि वक्त भू-बन्दोबस्त के समय उपरोक्त भूमि का पर्चा लगान प्रार्थिनीगण के परदादा अणदाराम व दादा चतराराम के नाम जारी हुआ तथा उनके फौत होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी विप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि विप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता स्व. चतराराम से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है तथा जो विप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि ग्राम औरंगाबाद के खसरा संख्या 226, 227 में प्रार्थिनीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/20-1/20 हिस्सा तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 66/9 में प्रार्थिनीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 164, 165, 165/2, 51, 91 में प्रार्थिनीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/20-1/20 हिस्सा तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 152, 152/1, 152/2 में प्रार्थिनीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/60-1/60 हिस्सा पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त का है तथा मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा कर अलग अलग काश्त करते है। कि प्रथम जमाबन्दी (खतौनी) के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थिनीगण के परदादा स्व. अणदाराम व दादा स्व.चतराराम के नाम इन्द्राज हुआ तत्पश्चात् दादा की फौतगी पर प्रार्थिनीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण पारित कर राजस्व रेकर्ड में प्राथीनीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हुआ। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थिनीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है इस कारण वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक एवं [illegible] की भूमि है और प्रार्थिनीगण अपने परदादा अणदाराम व दादा चतराराम की पैतृक भूमि में मिलने [illegible] प्रथम श्रेणी का विधिक उत्तराधिकारी है और प्रार्थिनीगण का [illegible] पिता विप्रार्थी संख्या 1 के साथ पैतृक हिस्सा 1/4-1/4 है और प्रार्थिनीगण अपने हिस्से [illegible]नुसार भूमि का बाहामी बंटवाडा कर काबिज है। कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-[illegible]) विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.5 (1) राजस्व-6/97/18 दिनांक 08.01.2007 जारी कर स्पष्ट आदेश पारित किया है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र/पुत्री को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनों का जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:20 IST
Reason: SelfAttested

/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ-साथ पुत्र/पुत्री भी सह कृषक है चाहे राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नहीं भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राज. काश्त.अधि. की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है। कि विप्रार्थीसंख्या 1 नशेड़ी प्रवृति का व्यक्ति होने से गांव के भूमाफियाओं के प्रभाव के कारण तथा वर्तमान में भूमि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण भूमाफियाओं द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 को लालच एवं प्रलोभन देकर व उसको अपने अनुचित प्रभाव में लेकर वादीनीगण की जानकारी के बिना वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज समस्त भूमि का हस्तान्तरण/बैचान करवाने पर आमादा है। प्रार्थिनीगण को उसकी पैतृक व सहदायिकी भूमि से वंचित करना चाहते है तथा प्रार्थिनीगण को उसके हक व हिस्से की भूमि से हमेशा से महरूम करने पर प्रयासरत है जिस पर वादीनीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी संख्या 1 को समझाया जा चुका है लेकिन विप्रार्थी संख्या 1 अपनी हठधर्मिता पर आ गया है और वादग्रस्त भूमि बेचान व हस्तान्तरण करने पर आमादा है व प्रार्थिनीगण को उसके कब्जा काश्त व रहवासीय ढाणी से बेदखल करना चाहते है। जबकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थिनीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक भूमि होने के कारण व प्रार्थिनीगण पूर्वज अणदाराम के वैध उताराधिकारी होने के नाते उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थिनीगण का वादग्रस्त आराजी में जन्म से हक व अधिकार उत्पन्न होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 को प्रार्थिनीगण के हिस्से व कब्जा की भूमि को बेचान व हस्तातरण करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है क्योंकि यदि विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित होने का गलत फायदा उठाकर प्रार्थिनीगण को उतराधिकार के रूप में मिलने वाली भूमि से वंचित रखकर बेचान व हस्तान्तरण कर दिया गया तो प्रार्थिनीगण को भूखों मरने की नौबत आ जायेगी क्योंकि प्रार्थिनीगण के पास उनके पूर्वजों की उक्त वादग्रस्त आराजी के अलावा अन्य आय का कोई स्त्रोत नहीं है जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। अतः प्रार्थिनीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विप्रार्थी संख्या 1 निम्न सादिर फरमाई जायें कि वादग्रस्त आराजी जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के ग्राम औरंगाबाद में खेत खसरा नम्बर 226, 227 रकबा क्रमशः 4.8864 हैक्टेयर, 1.5614 हैक्टेयर कुल रकबा 8.4478 हैक्टेयर तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा नम्बर 66/9 रकबा 3.0904 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 164, 165, 165/2, 51, 91 रकबा क्रमशः 0.2670 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर, 5.7035 हैक्टेयर, 2.6212 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर कुल रकबा 16.2125 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 152, 152/1, 152/2 रकबा क्रमशः 2.9286 हैक्टेयर, 0.2427 हैक्टेयर, 3.9560 हैक्टेयर कुल रकबा 7.1273 हैक्टेयर में प्रार्थिनीगण का ग्राम औरंगाबाद के खसरा संख्या 226, 227 में प्रार्थिनीगण प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 66/9 में प्रार्थिनीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा खसरा संख्या 164, 165, 165/2, 51, 91 में प्रार्थिनीगण प्रत्येक का 1/20– [illegible] तथा खसरा संख्या 152, 152/1, 152/2 में प्रार्थिनीगण [illegible] होने से उनको मिलने वाले हिस्से में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप व [illegible] नहीं करें तथा भूमि का बेचान, रहन नहीं करें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें।

हमनें प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन व विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थिनीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 के पैतृक एवं विप्रार्थीगण संख्या 17 से 27 की क्रयसुदा संयुक्त खातेदारी की भूमि जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के ग्राम औरंगाबाद में खेत खसरा नम्बर 226, 227 रकबा क्रमशः 4.8864

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:20 IST
Reason: SelfAttested

टेयर, 1.5614 हैक्टेयर कुल रकबा 64478 हैक्टेयर तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा नम्बर 66/9 रकबा 3.0904 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 164, 165, 165/2, 51, 91 रकबा क्रमशः 0.2670 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर, 5.7035 हैक्टेयर, 2. 6212 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर कुल रकबा 16.2125 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 152, 152/1, 152/2 रकबा क्रमशः 2.9286 हैक्टेयर, 0.2427 हैक्टेयर, 3.9560 हैक्टेयर कुल रकबा 7.1273 हैक्टेयर की आई हुई है। कि वक्त भू-बन्दोबस्त के समय उपरोक्त भूमि का पर्चा लगान प्रार्थिनीगण के परदादा अणदाराम व दादा चतराराम के नाम जारी हुआ तथा उनके फौत होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी विप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि विप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता स्व. चतराराम से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है तथा जो विप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है। पत्रावली के संलग्न वक्त बन्दोबस्त के रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मुतवफी परदादा अणदाराम व दादा चतराराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ। चतराराम के वारिसान विप्रार्थी सं. 1 के साथ प्रार्थीगण का पैतृक भूमि में अपना हक हिस्सा घोषित करवाने की इस्तदुआ का निर्धारण मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधिवत सुनवाई के निपटारा किया जाना है। यदि दौराने विचारण वाद प्रार्थीया को कब्जा शुदा खातेदारी भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि की मौके स्थिति में भी फेरबदल हो जाता है, तो प्रार्थीनीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रथम द्वष्यता प्रार्थीयागण अपनी इस्तदुआ अनुसार राहत प्राप्त करने का हकदार प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।ऐसी स्थिति में प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के ग्राम औरंगाबाद में खेत खसरा नम्बर 226, 227 रकबा क्रमशः 4.8864 हैक्टेयर, 1.5614 हैक्टेयर कुल रकबा 64478 हैक्टेयर तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा नम्बर 66/9 रकबा 3.0904 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 164, 165, 165/2, 51, 91 रकबा क्रमशः 0.2670 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर, 5.7035 हैक्टेयर, 2. 6212 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर कुल रकबा 16.2125 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 152, 152/1, 152/2 रकबा क्रमशः 2.9286 हैक्टेयर, 0.2427 हैक्टेयर, 3.9560 हैक्टेयर कुल रकबा 7.1273 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रार्थीनीगण के हिस्से तक की भूमि [illegible] किसी [illegible] दखलदांजी नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनायें रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:20 IST
Reason: SelfAttested

(प्र[illegible] कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी